2.8 नाम पट्ट, रबड़ की मोहरें, कार्यालय की मुद्राएं, पत्र शीर्ष और लोगो (प्रतीक)

(1) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य कार्यालयों में प्रयोग में आने वाली सभी रबड़ की मोहरें और कार्यालय की मुद्राएं द्विभाषिक रूप में हिंदी के शब्द ऊपर रखते हुए प्रयोग की जाएं।

(2) पदनाम, कार्यालय का नाम, पता आदि के बारे में जो मोहरें वर्तमान आदेशों के अनुसार द्विभाषी रूप में बनाई जाती हैं, वे इस प्रकार बनाई जाएं कि उनमें एक पंक्ति हिंदी की और फिर एक पंक्ति अंग्रेजी की हो या एक ही पंक्ति में हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में लिखा हो। ये निदेश नई बनाई जाने वाली मोहरों पर लागू किए जाएं।

(3) बैंकों के चैकों पर यदि द्विभाषी मोहरें लगाने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध न हो तो "क" और "ख" क्षेत्रों के कार्यालयों आदि में चैकों पर मोहरें केवल हिंदी में और "ग" क्षेत्र के कार्यालयों में केवल हिंदी या अंग्रेजी में लगा दी जाएं।

(4) जो मोहरें टिप्पणी आदि की जगह पर बनाई जाती हैं वे या तो द्विभाषी बनाई जाएं या "क" और "ख" क्षेत्र के कार्यालयों आदि में केवल हिंदी में और "ग" क्षेत्र के कार्यालयों में केवल हिंदी या अंग्रेजी में बनवा ली जाएं।

(5) रबड़ की मोहरें तैयार करते समय सभी भाषाओं के अक्षर समान आकार के होने चाहिए।

(6) 'क' और 'ख' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में नाम पट्ट, रबड़ की मोहरें, पत्र शीर्ष, लोगो (प्रतीक) आदि द्विभाषी रूप में बनवाएं जाएं।

(7) 'ग' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में नाम पट्टे, रबड़ की मोहरें, पत्र शीर्ष लोगो (प्रतीक) आदि त्रिभाषी रूप में बनवाएं जाएं।

[का.ज्ञा.सं.. 559/68-रा.भा.(क-1) दिनांक 17-10-1968]
[का ज्ञा. स. 1/14013/18/85- रा.भा.(क-1) दिनांक 14-1-1985]
[का.ज्ञा.सं. 1/14034/1/87-रा.भा.(क-1), दिनांक 30-12-1987]
[का.ज्ञा.सं. 12024/2/92-रा.भा.(ख-2), दिनांक 21-7-1992]